

दिनांक 16 दिसंबर 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए गैर-प्रशुल्क उपाय

***232. श्री बी. मणिकक्म टैगोर:**

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए वैशिक बाजारों में अनिवार्य और स्वैच्छिक गैर- प्रशुल्क उपायों (एनटीएम) की व्यापक रूपरेखा तैयार की है, यदि हां, तो इसका कार्यक्षेत्र क्या है और सरकार को इस कार्य में कितना समय लगेगा;

(ख) निर्यातकों, वस्तु बोर्डों और उद्योग निकायों से आदानों को एकत्र करने के लिए कौन-कौन से तंत्र स्थापित किए गए हैं और प्रभावी निर्यात सहायता सुनिश्चित करने के लिए इन्हें किस प्रकार प्राथमिकता दी जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे गैर- प्रशुल्क उपायों (एनटीएम) की पहचान की है जो भारतीय निर्यातकों के लिए लागत या अनुपालन बोझ बढ़ाने वाले गैर- प्रशुल्क अवरोध (एनटीबी) के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार उत्पाद की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए विदेशों में तकनीकी मानकों, प्रमाणन और परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने में निर्यातकों की किस प्रकार सहायता करने की योजना बना रही है; और

(ङ) क्या उन क्षेत्रों या देशों के लिए किन्हीं विशेष उपायों की परिकल्पना की गई है जहां कठोर गैर- प्रशुल्क उपायों (एनटीएम) के कारण शिपमेंट में विलंब हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ.) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

“भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए गैर-प्रशुल्क उपाय” के संबंध में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *232 के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क) और (ख): गैर-प्रशुल्क उपायों (एनटीएम) की निगरानी एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। यह विशेष रूप से स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) और व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) से जुड़े उपायों के लिए की जा रही है, ताकि ऐसे उपायों की पहचान की जा सके और उनका समाधान किया जा सके जो भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाली गैर-प्रशुल्क अवरोध (एनटीबी) के रूप में कार्य कर सकते हैं।

गैर-टैरिफ उपायों की निगरानी और समाधान के लिए संबंधित मंत्रालयों, कमोडिटी बोर्डों, निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित रूप से परामर्श किया जाता है। सदस्य देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को दी जाने वाली अधिसूचनाओं पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है और उन्हें हितधारकों के साथ साझा किया जाता है। भारत डब्ल्यूटीओ की एसपीएस और टीबीटी समिति की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जहाँ विशिष्ट व्यापार चिंताओं की समीक्षा की जाती है। यह संयुक्त कार्य समूहों, तकनीकी परामर्शों और चल रही मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वर्ताओं जैसे द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है, जो भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

(ग) से (ड.) सरकार अंतर्राष्ट्रीय एनटीएम का अनुपालन करने में निर्यातकों की सहायता करने और तकनीकी सहयोग, संस्थागत क्षमता निर्माण तथा विभिन्न योजना-आधारित सहायता उपायों के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए बहु-आयामी कार्यनीति अपनाती है।

सूचना विषमता को दूर करने और विदेशी बाजारों में तकनीकी और प्रमाणन संबंधी आवश्यकताओं की अद्यतन जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म (<https://trade.gov.in>) लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित निर्यातकों के लिए एक डिजिटल इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, जो व्यापार समझौतों, देश-विशिष्ट बाजार पहुंच आवश्यकताओं, प्रमाणन और अनुपालन मानदंडों, क्रेता-विक्रेता संपर्क सेवाओं और वैश्विक ई-कॉर्मस मार्गदर्शन पर जानकारी प्रदान करता है। यह वाणिज्य विभाग, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त जानकारियों को भी एकीकृत करता है ताकि निरंतर सहभागिता और क्षेत्र-विशिष्ट सहायता प्रदान की जा सके।

सरकार फार्म और उत्पादन स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक अपनी निर्यात गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को लगातार मजबूत कर रही है। निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), अन्य कमोडिटी बोर्ड, निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) आदि संबंधित एजेंसियां

गुणवत्ता प्रबंधन को मजबूत करने और आयात करने वाले देशों के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्यातकों की क्षमता निर्माण, निर्यात-पूर्व नियंत्रण, प्रयोगशाला परीक्षण और हितधारकों को जागरूक करने जैसे उचित उपाय नियमित रूप से करती हैं।

इसके अलावा, निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) प्रमाणन और परीक्षण प्रणालियों को मजबूत कर रही है और इसने विभिन्न उत्पादों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस सहित कई देशों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) किए हैं। ये पहले भारतीय प्रमाणनों की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति को बढ़ावा देती हैं, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करती हैं और वैश्विक बाजारों तक सुगम पहुंच को सुविधा प्रदान करती हैं।

उत्पाद संबंधी क्रियाकलापों के अलावा, सरकार वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत के एकीकरण को मजबूत करने और व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए अनेक पहल करती है। केंद्रीय बजट में घोषित भारत ट्रेडनेट (बीटीएन) का उद्देश्य व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण, सीमा पार डेटा के आदान-प्रदान के माध्यम से सीमा पार व्यापार को सुव्यवस्थित करना और विदेशी बाजारों में निर्यात के लिए व्यापार वित तक बेहतर पहुंच को सुगम बनाना है। इसके अतिरिक्त, निर्यात व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) जैसी योजनाएं अवसंरचना और बाजार पहुंच संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए क्रियान्वितकी जा रही हैं, जबकि राज्य और केंद्रीय कर एवं शुल्क छूट (आरओएससीटीएल) योजना और निर्यातित उत्पादों संबंधी शुल्क एवं कर छूट (आरओडीटीईपी) योजना अंतर्निहित करों और शुल्कों को बेअसर करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती हैं। व्यापार को सुगम बनाने और मुक्त व्यापार समझौतों के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। इसके अलावा, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति निर्यात को सहयोग करने के लिए एकीकृत अवसंरचना विकास और लॉजिस्टिक्स संबंधी दक्षता पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

जमीनी स्तर पर, निर्यात हब के रूप में जिला (डीईएच) पहल के तहत निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करके तथा स्थानीय मूल्य शृंखलाओं को मजबूत करके जिलों से निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकारों के समन्वय से तैयार की गई जिला निर्यात कार्य योजनाएं (डीईएपी) अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, मानकीकरण, ब्रांडिंग, बाजार पहुंच, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण और क्षमता निर्माण में मौजूद कमियों को दूर करने पर केंद्रित हैं, जिससे लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित निर्यातकों की वैश्विक बाजारों में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने हेतु, सरकार ने हाल ही में वर्ष 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए ₹25,060 करोड़ के परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन में दो उप-योजनाएं शामिल हैं: निर्यात प्रोत्साहन, जो निर्यात वित तक पहुंच को बढ़ाती है, और निर्यात दिशा, जो

गुणवत्ता अनुपालन, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण और व्यापार आसूचना जैसे प्रमुख व्यापार प्रवर्तकों का सहयोग प्रदान करती है।

निर्यात दिशा योजना के तहत, एसपीएस, टीबीटी और अन्य एनटीएम से उत्पन्न उच्च अनुपालन लागतों का सामना कर रहे क्षेत्रों के लिए निर्यात गुणवत्ता और तकनीकी अनुपालन सहायता संबंधी उप-घटक के माध्यम से लक्षित वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। इस सहायता का उद्देश्य निर्यातकों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को परीक्षण, प्रमाणन और लेखापरीक्षा से संबंधित बढ़ती लागतों को पूरा करने में सहायता करना है, जिससे अनुपालन में सुधार हो, अस्वीकृतियों में कमी आए और विदेशी बंदरगाहों पर शिपमेंट में देरी कम से कम हो।